<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>29.07.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आँचलिक कार्यालय ने 24.07.2024 को नाइसर ग्रीन ग्रुप कंपनियों/पीपल सिंह और अन्य के मामले में सात कंपनियों सहित पीपल सिंह और सोलह अन्य आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। यह शिकायत पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के हजारों निवेशकों को प्रभावित करने वाली पोंजी स्कीम धोखाधड़ी के संबंध में है। माननीय न्यायालय ने 24.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जाँच शुरू की। ईडी द्वारा की गई जाँच से पता चला कि प्रभावित निवेशकों द्वारा दायर की गई शिकायतों के आधार पर नाइसर ग्रीन ग्रुप कंपनियों के प्रबंध निदेशक पीपल सिंह और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।

ईडी की जाँच में पता चला कि मुख्य आरोपी पीपल सिंह और उसके सहयोगियों ने कई कंपनियां बनाई/शामिल कीं। पीपल सिंह ने आम जनता को उच्च ब्याज का झूठा वादा करके एफडी/आरडी के रूप में समूह की कंपनियों में निवेश करने का लालच देकर नाइसर ग्रीन ग्रुप कंपनियों के माध्यम से 7.44 करोड़ रुपये की अपराध की आय (पीओसी) अर्जित की थी। हालांकि, परिपक्वता अवधि समाप्त होने के बाद, आरोपी व्यक्तियों ने निवेशकों को पैसे वापस नहीं किए, जिससे उनकी मेहनत की कमाई ठगी गई। इसके अलावा, मामले में जाँच से पता चला कि अपराध की आय को डायवर्ट किया गया था और मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में खरीदी गई विभिन्न अचल संपत्तियों में रखा(पार्क किया) गया था।

ईडी ने पीओसी से प्राप्त 5.84 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की थी। इसके अलावा, पीपल सिंह और उनके बेटे गुरकीरत सिंह को भी माननीय विशेष न्यायालय, (पीएमएलए), जालंधर द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।